नकल ८० (stamp) Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री डाऊसिंह बनाम श्री करणसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा मु0न0 10 सन 2012

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20-08-19 | वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी / वादी अब और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, अतः इनके बकाया साक्ष्य एक बंद किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27-08-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर | |
| 27-8-19 | वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09.09-19 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 09-09-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर | |
| 09-9-19 | आज स्थानीय बार ऐसो. ने कार्य स्थगित रखा है। पी.ओ.सा. ........ पधारें हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु दिनांक 11-9-19 को पेश हो। | |
| 11-09-2019 | वकील वादी उपस्थित। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से टाईप करवाकर मेरे हस्ताक्षर व मोहर से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर | |

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

**राजस्व वाद पत्र संख्या 12/2012**

श्री डाऊसिंह वयस्क पुत्र श्री रामसिंह जाति रावत निवासी गांव किशनपुरा हाल निवासी फतेहपुरिया दोयम,ब्यावर तहसील ब्यावर ————वादी

**ब ना म**

1– श्री करणसिंह वयस्क पुत्र स्व. हरजीसिंह———मृतक——
1/1–श्रीमति सोवनी वयस्क पत्नि स्व. करणसिंह
1/2–श्री बलवीरसिंह उम्र करीबन 20 साल पुत्र स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासी देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर
1/3–श्रीमति सीतादेवी वयस्क पत्नि श्री बुद्धासिंह पुत्री स्व. करणसिंह
1/4–श्रीमति पुष्पादेवी वयस्क पत्नि श्री हजारीसिंह पुत्री स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासीयान पन्नासिंह के कुंए के पास दुर्गावास का चौडा, दुर्गावास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
1/5–श्रीमति मन्जूदेवी वयस्क पत्नि श्री भागूसिंह पुत्री स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासी लसाडिया गुवायडी तहसील ब्यावर

2– श्री रामपालसिंह वयस्क पुत्र स्व0 हरजीसिंह

3– श्री मिठूसिंह वयस्क पुत्र श्री इन्द्रसिंह ———मृतक———
3/1–श्रीमति घीसीदेवी वयस्क पत्नि स्व. मिठूसिंह
3/2–श्री मदनसिंह
3/3–श्री मंगलसिंह } वयस्क पिसरान स्व. मिठूसिंह
3/4–श्री पूरणसिंह
जाति रावत निवासी देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर

4– श्री बालूसिंह वयस्क पुत्र श्री मेन्दू ——मृतक——
4/1– श्रीमति खिमणी उम्र करीबन 50 साल बैवा बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/2–श्री कालूसिंह उम्र करीबन 30 साल पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/3–श्री बबलूसिंह उम्र करीबन 25 साल पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/4–श्रीमति सुगना उम्र करीबन 35 साल पुत्री स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/5–श्रीमति लीला उम्र करीबन 27 साल पुत्री स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/6–श्रीमति सुगना वयस्क बैवा लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
सभी जाति रावतान निवासीयान देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

5– श्रीमति नैनी वयस्क पत्नि श्री सोहनसिंह जाति रावत
निवासी धोलादांता प्रथम हाल निवासी नाहरपुरा तहसील ब्यावर

6– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसील ब्यावर

7– श्रीमान् उप पंजीयक अधिकारी जी, ब्यावर

8– राजस्थान सरकार बजरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

————प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

निर्णय दिनांक 11-09-19

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 473 रकबा 04–07–10 हाल खसरा नंबर 266 रकबा 02–04–00 किस्म आबी–1,हाल खसरा नंबर 267 रकबा 02–03–10 किस्म

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

आबी–1, साबिक खसरा नंबर 478 रकबा 02–11–10 हाल खसरा 277 रकबा 00–15–10 किस्म आबी–1, 278 रकबा 00–16–00 किस्म आबी–1, 279 रकबा 01–00–00 किस्म आबी–1,साबिक खसरा नंबर 479 हाल खसरा नंबर 276 रकबा 03–03–10 किस्म आबी–1, 280 रकबा 00–10–00 किस्म आबी–1, साबिक खसरा नंबर 500 रकबा 05–07–00, हाल खसरा नंबर 311 रकबा 01–01–00 किस्म आबी–1, 312 रकबा 00–15–00 किस्म आबी–1, 310 रकबा 01–05–00 किस्म, आबी–1 309 रकबा 02–14–00 किस्म आबी–1, साबिक खसरा नंबर 69 रकबा 12–19–00 हाल खसरा नंबर 93 रकबा 00–07–00 किस्म बारानी–3, साबिक खसरा नंबर 480 रकबा 00–01–10, 276 रकबा 00–01–10 किस्म गै.मु.खड्डा स्थित चली आ रही है। वादग्रस्त साबिक खसरा नंबर 473/1, 473/2, 478, 479, 480, 500/1, 500/2 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमियां के खातेदार काश्तकार श्री मोटा, हमीरा पिसरान श्री मोती जाति रावत निवासी धोलादांता प्रथम के बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार थे जिनकी वंशावली वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमियां मोती की खातेदारी की भूमियां थी जिनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी हमीरा व मोटा खातेदार हो गये जो मोती के जीवनकाल में मोटा, हमीरा, की कॉपासनरी सम्पत्तिया थी। मोटा के वारीसान हजारी, हरजी व गिरधारी बतौर कॉपासनर खातेदार हो गये थे, क्योकि मोटा हमीरा से पहले ही गुजर गया था। इसलिये मोटा के 1/2 हिस्से के विषय में दाखिल खारीज संख्या 90 दिनांक 9.1.1970 हजारीसिंह, हरजीसिंह व गिरधारीसिंह के नाम खुल गया था इसलिये मोटा के स्थान पर हजारीसिंह, हरजी व गिरधारीसिंह प्रत्येक 1/6 हिस्से के खातेदार हो चुके थे, और उस वक्त हमीरा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। हमीरा जी ने उनकी पुत्री नैनी की शादी हमीरा जी के जीवनकाल में ही कर दी थी, इसलिये वह अपने ससुराल गांव नाहरपुरा में उसके पति के साथ रहती रही। उक्त नाहरपुरा से धोलादांता प्रथम व दुर्गावास करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसलिये श्रीमति नैनी का वादग्रस्त भूमियो पर कभी कब्जा नही रहा और ना उसने वादग्रस्त भूमियो के किसी भाग को बोया न वह उत्तराधिकारी रही। स्व. हमीरा के गुजरते ही उनकी बैवा स्व. श्रीमति मैथी ने उक्त गिरधारीसिंह को रावत जाति के रीति रिवाजो एंव हिन्दू अडोपशन एंव मेन्टीनेंस एक्ट के प्रावधानो के तहत गोद ले लिया था। उस वक्त गिरधारीसिंह बालिग व शादीशुदा थे और रावत जाति के सदियो से चले आ रहे आम रिवाज के अनुसार बालिग व शादीशुदा व्यक्ति को गोद लिया जा सकता था, स्व. गिरधारीसिंह जी के माता पिता उक्त गोद के वक्त जीवित नही थे और पहले ही गुजर चुके थे, इसलिये गिरधारीसिंह के बडे भाई श्री हजारी पुत्र मोटा ने हमीरा की बैवा श्रीमति मेथी के निवेदन पर गिरधारीसिंह को गोद देने की नियत से हमीरा जी की बैवा श्रीमति मेथी की गोद में बिठाया और श्रीमति मेथी ने जाति के रीति रिवाजो के अनुसार गिरधारीसिंह को बतौर दत्तक पुत्र अपनी गोदी में गोद हेतू जाति बिरादरी के लोगो के सामने स्वीकार किया। और गिरधारीसिंह को दत्तक पुत्र घोषित किया। इस प्रकार से गोद की रस्म सम्पन्न हुई और फिर गोदनामा भी दिनांक 12.09.1970 को स्व. श्रीमति मेथी ने गिरधारीसिंह के हक में गोदनामा तहरीर कराकर तकमील कर दिया। इस प्रकार से हमीरा जी के गुजरने के बाद श्रीमति मेथी व गिरधारीसिंह का वादग्रस्त भूमियो पर कब्जा काश्त

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

बतौर खातेदार के चला आता रहा और श्रीमति मेथी ने उक्त गोदनामे के आधार पर स्व. गिरधारीसिंह के हक में दाखिल खारिज भी खुलवा दिये और स्व. मेथी के गुजरने के बाद गिरधारीसिंह अकेला हमीरा जी के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार हो गया। जबकि 1/6 हिस्सा उसको मोटा के 1/2 हिस्से में से बतौर उत्तराधिकार पहले से ही मिल चुका था। इसलिये वादग्रस्त भूमियो में स्व. गिरधारी जी का 2/3 हिस्सा है। हरजी का मात्र 1/3 हिस्सा ही रहा क्योकि हजारीसिंह नाओलाद फोत हो गये है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 करणसिंह व रामपालसिंह का मात्र 1/3 हिस्सा ही है। उपरोक्त पैतृक सम्पत्तियां थी इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति नैनी जो शादीशुदा है, उसका वादग्रस्त भूमियो में हमीरा के हिस्से में कोई उत्तराधिकार नही मिला है, क्योकि पैतृक सम्पत्तियो में लडकियों का कोई हिस्सा नही था। साबिक खसरा नंबर 487 में से 4 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नंबर 281 कायम हुये है, और इसी प्रकार से साबिक खसरा नंबर 69 में से 7 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नंबर 93 कायम हुये है, यह भूमियां भी स्व. मोटा व हमीरा के द्वारा लम्बे समय से कब्जा चले आने व उनके द्वारा झाड बांठ पत्थर आदि निकालकर उन्होने काबिल काश्त बनाई थी। और उनका कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आगमन के समय से चला आ रहा था। इसलिये उन्हें बॉई आपेरशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार हांसिल हो गये इसलिये इन भूमियो में भी गिरधारीसिंह जी का 2/3 हिस्सा रहा। इन भूमियो में भी श्रीमति नैनी का कोई अधिकार नही रहा। उक्त भूमियां गिरधारीसिंह जी की कॉपाशनरी थी और उसकी बैवा झमकू गिरधारीसिंह जी के गुजरने के बाद अकेली खातेदार हो गई और झमकू ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियो को वादी डाऊसिंह को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.08.2008 के द्वारा वसीयत कर दी और श्रीमति झमकूदेवी का देहान्त दिनांक 22.4.2010 को हो जाने के बाद वादी उसकी तमाम चल व अचल वादग्रस्त भूमियां एंव सम्पत्तियो का क्रमशः मालिक व खातेदार हो चुका है। इसलिये वह वादग्रस्त भूमियो के 2/3 हिस्से के खातेदार होने की घोषणा कराने का अधिकारी है। हाल सेटलमेंट की वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में वादग्रस्त भूमियो के विषय में हरजी व हजारी का गलत व गैर कानूनी रूप से 2/3 हिस्सा व गिरधारीसिंह पुत्र हमीरा का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि संवत 2022 से 2025 में मोटा के हिस्से में ही विरासत से गिरधारी को 1/3 हिस्सा प्राप्त हो चुका था जबकि हमीरा का 1/2 हिस्सा पहले से ही था, जबकि गिरधारीसिंह को संवत 2041 की जमाबंदी में हमीरा का पुत्र होना बताया है, जबकि उसका हिस्सा 1/3 लिखा है, जो प्रथम दृष्टया गलत व असत्य है, जबकि 2041 की जमाबंदी में हजारीसिंह, हरजीसिंह, गिरधारीसिंह पिसरान मोटा के नाम से दाखिल खारिज खुल चुका था इसलिये इन तीनो का आधा हिस्सा लिखा जाना चाहिये था, और गिरधारीसिंह पुत्र हमीरा का हमीरा के स्थान पर 1/2 हिस्सा लिखा जाना चाहिये था। इसलिये वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज अवेध व प्रभावशून्य है, और वे ही गलत इन्द्राज अब तक की जमाबंदीयो में गलत इन्द्राज दर्ज चले आ रहे है। खसरा नंबर 310, 309, 311, 312 जो कि साबिक खसरा नंबर 500 से बने है, जो कि हमीरा व मोटा पिसरान मोती बहिस्से बराबर खुदकाश्त मालिक दर्ज थी वह हमीरा व मोटा के नाम अथवा उनके वारीसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी । उसमें से खसरा नंबर 309 को उनको

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज नही की गई और फिर बाद की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में खसरा नंबर 309, 310, 311, 312, 276 गलत व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी मिठूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह रावत के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो इन्द्राज गलत व गैर कानूनी है। जबकि इन चारो खसरान में हरजी, हजारी पिसरान मोटा का 1/3 हिस्सा ही था। और गिरधारीसिंह का 2/3 हिस्सा था उसके स्थान पर वादी 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जबकि हरजी व हजारी को अपना हिस्सा मिठूसिंह के हक में 2/3 हिस्से का बेचान करने का अधिकार ही नही था जो बेचान सर्वथा अवेध व प्रभावशून्य है, इसलिये मिठूसिंह उक्त चारो खसरान का 1/3 हिस्से का तथा वादी 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जिसको इस दावे में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। हाल खसरा नंबर 266, 267, 276, 277, 278, 279, 280 व 93 की भूमियां गलत व गैर कानूनी रूप से हाल सेटलमेंट की वर्किंग जमाबंदी में हरजी व हजारी के 2/3 हिस्से में गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि वे 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, और गिरधारीसिंह 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, उसके स्थान पर उसे 1/3 हिस्से का खातेदार गलत दर्ज कर दिया गया है। खसरा नंबर 276 में हरजी व हजारी का 1/3 हिस्सा था और गिरधारीसिंह जी का 2/3 हिस्सा था उसके स्थान पर हरजी व हजारी का 2/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, जबकि वह 1/3 हिस्से के ही खातेदार थे और गिरधारीसिंह पुत्र हमीरा 2/3 हिस्से के खातेदार थे उसका 1/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, और उपरोक्त गलत हिस्सो को दिखाकर हजारी ने 1/3 हिस्सा और गिरधारी ने 1/3 हिस्सा ही मिठूसिंह को बेचान किया था इसलिये मिठू 2/3 हिस्से का खातेदारी काश्तकार हो गया और शेष 1/3 हिस्से का खातेदार गिरधारी रहा इसलिये उसका वारीस जरिये वसीयत से वादी हो गया। इसलिये वर्तमान जमाबंदी में हरजी पुत्र मोटा को 1/3 हिस्से का इन्द्राज गलत हुआ है, उसके स्थान पर वादी का नाम दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार से खसरा नंबर 281 में मोटा व हमीरा जी 1/2 हिस्से के खातेदार थे और मिठूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व बालूसिंह पिसरान मेन्दू 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उनके हिस्से नही बताये गये है, जबकि उपरोक्तानुसार गिरधारी के स्थान पर वादी 4/12 हिस्से का तथा हरजी व हजारी 2/12 हिस्से के तथा प्रतिवादी मिठूसिंह व बालूसिंह 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज होने चाहिये चूंकि हरजी व हजारी गुजर चुके है, इसलिये उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की नियत खराब हो गई है, इसलिये वे उपरोक्त गलत इन्द्राजो के आधारों पर वादी को गिरधारीसिंह के हिस्से से बेदखल करने को आमादा है, इसलिये वे दिनांक 15.11.2011 को जबरन वादी को उसके उपरोक्त हिस्से से बेदखल करने को आमादा हुआ तब वादी ने उन्हें बेदखल नही करने दिया तब उन्होने वादी को धमकी दी कि वह बाहर से आदमी लाकर जबरन कब्जा करके रहेंगे तब वादी ने राजस्व अभिलेखो की नकले निकलवाई तब उपरोक्त गलत इन्द्राजो की जानकारी वादी को प्रथम बार हुई तब प्रतिवादीगण को समझाया कि गलत इन्द्राजो की दुरूस्ती करावे व विभाजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण दिनांक 08.01.2012 को अंतिम बार इन्कार हो गये इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त खसरा नंबर 311, 312, 310, 309 का वादी को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 मिठूसिंह को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व हरजी व हजारीसिंह के द्वारा मिठूसिंह के हक में अधिक हिस्से का बेचाननामा कर दिया है, उसको उस सीमा तक अवेध व प्रभावशून्य घोषित किया जावे। तथा खसरा नंबर 266, 267, 277, 278, 279, 280 व 93 का वादी को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो अवेध इन्द्राज चले आ रहे है, उन्हें अवेध व प्रभावशून्य घोषित किया जावे तदनुसार दुरूस्ती फरमाई जावे। इसी प्रकार से खसरा नंबर 276 में प्रतिवादी संख्या 3 मिठूसिंह को 2/3 हिस्से का तथा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और स्व. हरजी व हजारी का नाम चला आ रहा है, उसे निरस्त किया जाकर जमाबंदी से हटाया जावे तथा खसरा नंबर 281 का वादी को 4/12 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 2/12 हिस्से का एंव प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 6/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और तदनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। तथा उक्त हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में विभाजन दर्शाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को उक्त हिस्से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त भूमियो को रहन बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4/1 लगायत 4/6 एंव 5 बावजूद सम्मन उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण उनके जवाबदावे का हक बन्द किया गया। उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब कि गई जिसमें वादी डाउसिंह ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रदर्श–1 असल वसीयतनामा दिनांक 12.08.2008, प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2022 से 2025 प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रतिलिपी वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी वर्किंग संवत 2041 प्रदर्श–6, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2042 से 2045 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2042 से 2045 प्रदर्श–9, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2053 से 2056 प्रदर्श–10, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2053 से 2056 प्रदर्श–11, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2053 से 2056 प्रदर्श–12, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2057 से 2060 प्रदर्श–13, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2057 से 2060 प्रदर्श–14, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2061 से 2064 प्रदर्श–15, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2061 से 2064 प्रदर्श–16 है। गवाह लक्ष्मणसिंह पुत्र सुवासिंह जाति रावत निवासी खाडिया खेडा रामदेव जी का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर एंव सरदारसिंह पुत्र रतनसिंह जाति रावत निवासी बाडिया अजबा पोस्ट कोटडा तहसील ब्यावर ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का पेश कर वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड वसीयतनामा 12.08.2008 के विषय में कथन किया है।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

.....लगातार

Scanned by CamScanner

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वकील वादी ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रदर्श–1 में श्रीमती झमकू देवी पत्नि स्व. गिरधारीसिंह जाति रावत द्वारा वसीयतनामा दिनांक 12–08–2008 को उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली समस्त चल अचल सम्पत्तियों को उनके सगे भाई श्री डाऊसिंह के पक्ष में निष्पादित किया जाना अंकित है। प्रदर्श–2 व 3 तुलनात्मक क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां है। प्रदर्श–4 ग्राम धोलादांता द्वितीय की जमाबन्दीसंवत् 2022–25 के खाता संख्यया 60 की जमाबन्दी है जिसमें वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 473/1, 473/2, 478, 479, 480, 500/1, 500/2 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा मोटा व हमीरा पिसरान मोती कौम रावत कौम रावत किनान देह बहिस्से बराबर खु.का.मा. दर्ज है एवं इसी जमाबन्दी में विरासत से मोटा वल्द मोती के स्थान पर नामा. संख्या 90 दिनांक 07.01.70 से श्री हजारी हरजीसिंह गिरधारीसिंह पिसरान मोटा के नाम दर्ज होना पाया गया है। प्रदर्श– 5 वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 खाता संख्या 1 की प्रमाणित प्रति है। वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 114 में अंकित हाल खसरा संख्या 266, 267, 276, 277, 278, 279, 280, 310, 311, 312 रकबा 13–10–00 में हजारी हरजी पि. मोटा कौम रावत 2/3 गिरधारी पुत्र हमारी 1/3 कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया जो प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 में भी यथावत दर्ज रहा है। प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2042–45 के खाता संख्या 82 में अंकित खसरा संख्या 309 रकबा 02–12–00 मिठुसिंह वल्द इन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–9 में अंकित नामा.सं. 49 दिनांक 08.07.92 से खसरा संख्या 310, 311, 312 का जरिए बेचान मिठुसिंह के नाम इन्द्राज होना पाया गया है। प्रदर्श– 10 जमाबन्दी संवत् 2053–56 की प्रमाणित प्रति है जिसके खसरा संख्या 309, 57, 58 मिठुसिंह वल्द इन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–11 जमाबन्दी संवत् 2053–56 के खाता संख्या 134 में हजारी हरजी पि. मोटा 2/3 व गिरधारी पुत्र हमीरा 1/3 हि. दर्ज है जिसमें खसरा संख्या 273 का जरिए नामा.सं. 119 से हजारी व गिरधारी का 2/3 हिस्सा मिठुसिंह पुत्र इन्दरसिंह के नाम दर्ज होना पाया गया है। प्रदर्श–12 जमाबन्दी संवत् 2053–56 के खाता संख्या 90 एवं प्रदर्श– 13 जमाबन्दी संवत 2057–60 के खाता संख्या 32 की प्रमाणित प्रति है जिसमें मिठुसिंह वल्द इन्द्रसिंह खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–14 जमाबन्दी संवत् 2057–60 के खाता संख्या 128 व 129 की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श–15 प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 137 व 138 है जिसमें अंकित खसरा संख्या 266, 267, 276, 277, 278, 279, 280, 93 में हजारी हरजी पि. मोटा 2/3 हि. गिरधारी हमीरा 1/3 हि. कौम रावत सा. देह दर्ज है तथा खसरा संख्या 281 में हजारी हरजी पि. मोटा गिरधारी वल्द हमीरा मिठुसिंह इन्द्रसिंह बालू पि. मेन्दू कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–16 जमाबन्दी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 93 में अंकित खसरा संख्या 58, 309, 310, 311, 312, 57 मिठुसिंह वल्द इन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के नाम इन्द्राज होना पाया गया।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर यह पाया गया है कि प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2042–45 के खाता संख्या 82 में अंकित खसरा संख्या 309 रकबा 02–12–00 मिठुसिंह वल्द इन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के नाम दर्ज होना पाया गया परन्तु इस खसरा संख्या 309 के साबिक खसरा संख्या 500 थे जो कभी भी अकेले मोटा व हमीरा के नाम दर्ज नहीं रहा बल्कि 500/1 व 500/2 अंकित रहे। हाल खसरा संख्या 309 साबिक खसरा संख्या 500 का कौनसा बटा नम्बर रहा है, जिनका स्पष्ट विश्लेषण वाद में अंकित नहीं किया गया है। प्रदर्श–9 में अंकित नामा.सं. 49 दिनांक 08.07.92 से खसरा संख्या 310, 311, 312 का जरिए बेचान मिठुसिंह के नाम इन्द्राज होना पाया गया है एवं तत्समय भी गिरधारी का पुत्र हमीरा का 1/3 हिस्सा ही दर्ज था एवं बेचान किया गया है जो सहमति के आधार पर ही किया गया है। अतः यहां यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गिरधारीसिंह पुत्र हमीरा को तत्समय उनके 1/3 हिस्से से कोई आपत्ति नहीं रही है। गिरधारी सिंह ने अपने जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी झमकू ने ऐसी कोई आपत्ति कभी भी नहीं की क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में मौजूद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति नैनी जो कि हमीरा की पुत्री थी वह भी वादग्रस्त आराजी में उसके पिता हमीरा की जायदाद में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकारिणी रहीं है क्योंकि प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2022–25 (अर्थात् वर्ष 1965–68) में हमीरा का नाम दर्ज है, परन्तु वाद में उक्त हिस्से बाबत् कोई कथन नहीं किये गये हैं। वादी ने अपने वादपत्र में यह अंकित करते हुए स्वीकृत रूप से कथन किए हैं कि गिरधारीसिंह गोद जाने के वक्त बालिग व शादीशुदा था जिसे नियमानुसार गोद नहीं लिया जा सकता था, उसके बावजूद जो तथाकथित गोदनामा होना बताया है, वह विधिक प्रावधानों के अनुसार होना नहीं पाया गया है एवं जिसके तहत गिरधारीसिंह अपने गोद पिता हमीरा की 1/2 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-09-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 12/2012

श्री डाऊसिंह वयस्क पुत्र श्री रामसिंह जाति रावत निवासी गांव किशनपुरा हाल निवासी फतेहपुरिया दोयम,ब्यावर तहसील ब्यावर ————वादी

ब ना म

1— श्री करणसिंह वयस्क पुत्र स्व. हरजीसिंह———मृतक——
1/1—श्रीमति सोवनी वयस्क पत्नि स्व. करणसिंह
1/2—श्री बलवीरसिंह उम्र करीबन 20 साल पुत्र स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासी देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर
1/3—श्रीमति सीतादेवी वयस्क पत्नि श्री बुद्धासिंह पुत्री स्व. करणसिंह
1/4—श्रीमति पुष्पादेवी वयस्क पत्नि श्री हजारीसिंह पुत्री स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासीयान पन्नासिंह के कुंए के पास दुर्गावास का चौडा, दुर्गावास तहसील ब्यावर जिला—अजमेर
1/5—श्रीमति मन्जूदेवी वयस्क पत्नि श्री भागूसिंह पुत्री स्व. करणसिंह
जाति रावत निवासी लसाडिया गुवायडी तहसील ब्यावर

2— श्री रामपालसिंह वयस्क पुत्र स्व0 हरजीसिंह

3— श्री मिठूसिंह वयस्क पुत्र श्री इन्द्रसिंह ———मृतक———
3/1—श्रीमति घीसीदेवी वयस्क पत्नि स्व. मिठूसिंह
3/2—श्री मदनसिंह
3/3—श्री मंगलसिंह } वयस्क पिसरान स्व. मिठूसिंह
3/4—श्री पूरणसिंह
जाति रावत निवासी देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर

4— श्री बालूसिंह वयस्क पुत्र श्री मेन्दू ——मृतक——
4/1— श्रीमति खिमणी उम्र करीबन 50 साल बैवा बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/2—श्री कालूसिंह उम्र करीबन 30 साल पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/3—श्री बबलूसिंह उम्र करीबन 25 साल पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/4—श्रीमति सुगना उम्र करीबन 35 साल पुत्री स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/5—श्रीमति लीला उम्र करीबन 27 साल पुत्री स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
4/6—श्रीमति सुगना वयस्क बैवा लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. बालूसिंह उर्फ बाबूसिंह
सभी जाति रावतान निवासीयान देवरा का बाडिया धोलादांता प्रथम तहसील ब्यावर जिला—अजमेर

5— श्रीमति नैनी वयस्क पत्नि श्री सोहनसिंह जाति रावत
निवासी धोलादांता प्रथम हाल निवासी नाहरपुरा तहसील ब्यावर

6— राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसील ब्यावर

7— श्रीमान् उप पंजीयक अधिकारी जी, ब्यावर

8— राजस्थान सरकार बजरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

————————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
श्री डाऊसिंह बनाम श्री करणसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 12/2012
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निजी..................मुबलिक...................बाबत...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11-09-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.08 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: